न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 13.04.2016

मुकदमा नं0 43/2016
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

1.	रमनलाल	पिसरान बाबूलाल	जाति ब्राहम्ण निवासी सीतापुर
2.	दिनेश		
3.	चन्द्रभान		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	मलंखे पुत्र सूजी		
5.	मु0 विद्यादेवी बेबा हरदयाल		
6.	मोनू	पिसरान हरदयाल नाबालिग	
7.	कपिल	कपिल जरिये माता	
8.	मु0 नर्वदा बेबा रामनिवास		
9.	बृजकुमारी	पुत्रियॉ लखनलाल	
10.	गुड्डी		
11.	मु0 किशनप्यारी बेबा लखनलाल		———— सायलान

बनाम

1.	किरोडी	पिसरान कन्हैया जाति ब्राहम्ण निवासी सीतापुर
2.	रामदयाल	तहसील हिण्डौन जिला करौली
3.	मुन्शी	
4.	मु0 ऊगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश	जाति ब्राहम्ण निवासी मलाह
5.	मु0 तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरिपाल	तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
6.	मु0 भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा खातीपुरा तहसील हिण्डौन	———— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री राधामोहन गोस्वामी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :— 8.9.22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने इस अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण सं0 501 दिनांक 22.03.2016 को गैरसायल नं01 ता 6 के नाम भरा गया है एवं शेष 1/2 हिस्सा सायलान के नाम बदस्तूर रखा गया है। लेकिन मौजूदा वर्ष की जमाबन्दी में गैरसायलान ने हल्का पटवारी से साजकर उक्त खसरा नम्बर 560,561 व 562 की सम्पूर्ण हिस्सेदारी नामान्तकरण सं0 501 तारीखी 22.03.2016 का हवाला देते हुए गैरसायल सं01 ता 6 ने अपने नाम करवा ली। इस प्रकार मौजूदा जमाबन्दी नामान्तकरण सं0 501 के अनुसार कायम करते हुए सायलान की हिस्सेदारी बदस्तूर रखा जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 11.04.2016 को सायलान ने तहसील कार्यालय जाकर उक्त नामान्तकरण सं0 501 तारीखी 22.03.2016 की नकल निकलवाने से मौजूदा वर्ष में हुई गलती का पता सायलान को चलते ही दिनांक 11.04.2016 को सायलान ने तहसीलदार हिण्डौन में जमाबन्दी में उक्त गलती का संशोधन करने बाबत् वाद दायर करने बाबत् हिदायत फरमाई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो

सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है स्वीकार नहीं है। सायलान का गैरसायलान के खिलाफ वाद पेश करना स्वीकार है किन्तु उक्त वाद में सायलान को किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान का यह कहना कि नामान्तकरण सं0 501 दिनांक 22.03.2016 को गैरसायल सं01 ता 6 के नाम भरा गया है में 1/2 हिस्सा आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का भरा गया शेष 1/2 भाग सायलान के नाम रहा बिल्कुल गलत है तथा यह कहना भी कि मौजूदा वर्ष की जमाबन्दी में गैरसायलान ने हल्का पटवारी से साज करके उक्त खसरा नम्बर 560,561,562 की सम्पूर्ण हिस्सेदारी नामान्तकरण सं0 501 तारीखी 22.03.2016 का हवाला देते हुए गैरसायलान ने अपने नाम करा ली। इस कारण मौजूदा जमाबन्दी नामान्तकरण संख्या 501 के अनुसार कायम करते हुए सायलान की हिस्सेदार बदस्तूर रखा जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, गलत दर्ज किया

है। सही तथ्य यह कि नामान्तकरण सं0 501 दिनांक 22.03.2016 जो भरा गया वो खसरा नम्बर 560, 561,व 562 के सम्पूर्ण रकवे का भरा गया था और उसी आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज पटवारी हल्का द्वारा किया गया है, जो मुताविक कानूनन बिल्कुल सही किया गया है। बाकी तथ्य उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान दिनांक 11.04.2016 को तहसील कार्यालय में नहीं गया ना ही तहसीलदार से कोई निवेदन किया गया क्योंकि नामान्तकरण सं0 501 तारीखी 22.03.2016 जो भरा गया है वो गैरसायलान के पिता द्वारा पेश दावा जो उनके हक में डिक्री हुआ है उसके आधार पर भरा गया है। डिक्री दिनांक 26.03.1999 में स्पष्ट दर्ज है कि खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, की खातेदारी उक्त दावे के वादीगण जो इस प्रार्थना पत्र के गैरसायल सं01 ता 6 के हक में खातेदारी अधिकारों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करने के लिए तहसीलदार हिण्डौन को आदेश जारी हुआ था के आधार पर नामान्तकरण भरा गया है जो इन्द्राज जमाबन्दी में है वो बिल्कुल सही है। विस्तृत विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि आराजीयात विवादग्रस्त मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र पर सम्बत् 2009 से गैरसायलान के पिता कन्हैया का व उसके फौत हों जाने के बाद गैरसायलान काबिज काश्त व दखील हैं, जिसका विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। गैरकानूनी मंसूबे कौन से हैं सायलान ने कहीं दर्ज नहीं किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं है।

उजात मजीद :— जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायलान के पिता स्व0 कन्हैया पुत्र नारायण ब्राहम्ण ने एक दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व हुक्मईम्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 136 ग्राम सीतापुर सूजी पुत्र कंचन आदि के खिलाफ इस न्यायालय में माह नबम्बर सन् 1987 में पेश किया। दौराने दावा वादी व प्रतिवादीगण सूजी का स्वर्गवास हो गया। सायलान वादीगण सूजी के वारिसान है व प्रतिवादी वादी कन्हैया के वारिसान हैं तथा दौराने दावा सेटिलमेन्ट सम्पूर्ण होने पर आराजी खसरा नम्बर 136 के नवीन खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन कायम हुए जिसका उल्लेख निर्णय दिनांक 26.03.1999 में अंकित है। उक्त दावा दिनांक 26.03.1999 को उक्त दावे के वादीगण इस प्रार्थना पत्र में गैरसायलान किरोडी वगैराह के हक में डिक्री हो गया था, जिसकी अपील इस प्रार्थना पत्र के सायलान वगैराह ने राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ पेश की जो दिनांक 20.02.2003 को खारिज फरमा दी गई, उसके खिलाफ सायलान आदि ने एक द्वितीय अपील रेवन्यू बोर्ड अजमेर में पेश की जो बाद बहस दिनांक 01.03.2016 को खारिज फरमा दी गई और उक्त निर्णय दिनांक 01.03.2016 में उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 26.03.1999 व आरएए सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश 20.02.2003 यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायलान आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में रेवन्यू बोर्ड तक कानूनी लडाई लडे किन्तु तीनों ही कोर्ट द्वारा सायलान का कब्जा व मालिकाना हक साबित नहीं माना बल्कि गैरसायलान का माना है। आज भी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन पर गैरसायलान काबिज काश्त हैं तथा रिकोर्डेड खातेदार हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायलान ने उपर दर्ज मद नं0 7,8 में वर्णित तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है जबकि उक्त मदों में दर्ज समस्त तथ्य सायलान को भली भॉति जानकारी में है फिर भी बदयान्ति पूर्वक छुपाकर यह झूंठा व गैरकानूनी दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है। यानि सायलान क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, इसी आधार पर कानूनन सायलान किसी प्रकार की कोई भी रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायलान का दावा व प्रार्थना पत्र हाजा कानूनन चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन के सम्बन्ध में जब सायलान व गैरसायलान के राईट फाईनली रूप से रेवन्यू बोर्ड तक डिसाईड हो चुके हैं तो इस न्यायालय हाजा को पुनः इन खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में कानूनन सुनवाई करने का और कोई आदेश पारित करने का अधिकार शेष नहीं रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायलान ने सारवान तथ्यों को छुपाते हुए एकतरफा में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा ली है जो तुरन्त निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि गैरसायलान दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किये जाने के दिन से पूर्व से सम्बत् 2009 से लगातार आज दिन तक विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं02 पर काबिज काश्त व रिकोर्डेड खातेदार हैं। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। सायलान के नहीं।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 501 फैंसल दिनांक 28.03.2016, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068–71, पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या –अपील/डिक्री/टीए /1000/2003/करौली उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह निर्णय दिनांक 01.03.2016, फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 20.02.2003 को पारित डिक्री उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह अपील विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश दिनांक 26.03.1999 के विरूद्ध, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 271/1987 उनवानी कन्हैया वगैराह बनाम सूजी वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.1999 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 501 फैंसल दिनांक 28.03.2016 मुताविक आदेश उनवान बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 01.03.2016 की पालना में नामान्तकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर के खातेदार धूजी पुत्र रामस्वरूप हि01/6, अशोक विनोद पि0 बत्तू हि01/9, राहिन बीओबी शाखा महूइब्राहिमपुर कम्पोटर पि0 रामस्वरूप हि01/6, मु0 प्रेम बेबा बत्तू हि01/18, विला रहन, उदयभान हरिमोहन गोपाल बृजमोहन हीरालाल पुत्र लखनलाल शेष इन्द्राज बदस्तूर मुताविक जमाबन्दी खाता के स्थान पर किरोडी रामदयाल मुंशी पि0 कन्हैया निवासी सीतापुर उगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश, तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरि हाल निवासी मलहाय तहसील भरतपुर भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि

बृजकिशोर निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन हि0ब0 के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2068–71 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी जरिये नामान्तकरण सं0 501 नि0दिनांक 28.03.2016 से धूजी पुत्र रामस्वरूप हि01/6, अशोक विनोद पि0 बत्तू हि01/9 राहिन बीओबी शाखा महूइब्राहिमपुर कम्पोटर पि0 रामस्वरूप हि01/6, मु0 प्रेम बेबा बत्तू हि01/18 विलारहन उदयभान हरिमोहन गोपाल बृजमोहन हीरालाल भौरीलाल हरिओम पुत्र लखनलाल बृजकुमारी हैपी कुमारी पुत्रियॉ लखनलाल किशनप्यारी बेबा लखनलाल हि01/8 बाबूलाल मलखे पि0 सूजी हिस्सा बराबर हि02/8, हरदयाल पुत्र रामनिवास हि01/16 बिलारहन नर्वदा बेबा रामनिवास हि01/16 जाति ब्राहम्ण के बजाय किरोडी रामदयाल मुंशी पि0 कन्हैया निवासी सीतापुर उगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरि हाल निवासी मलहाय तहसील भरतपुर भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि बृजकिशोर निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन हिस्सा बराबर हिस्सा के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त विवादित आराजीयात के गैरसायलान किरोडी रामदयाल मुंशी पि0 कन्हैया निवासी सीतापुर उगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरि हाल निवासी मलहाय तहसील भरतपुर भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि बृजकिशोर निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन हिस्सा बराबर के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है।

गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 271/1987 उनवानी कन्हैया वगैराह बनाम सूजी वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.1999 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन का वादीगण (गैरसायलान) किरोडी रामदयाल मुंशी पि0 कन्हैया निवासी

सीतापुर उगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरि हाल निवासी मलहाय तहसील भरतपुर भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि बृजकिशोर निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा प्रतिवादीगण (सायलान) को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। निर्णय व डिक्री के अनुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को आदेशित किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 20.02.2003 को पारित डिक्री उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह अपील विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश दिनांक 26.03.1999 के विरूद्ध पेश की जो दिनांक 20.02.2003 को खारिज कर दी गई।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या –अपील/डिक्री/टीए /1000/2003/करौली उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह निर्णय दिनांक 01.03.2016 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के द्वारा दिनांक 20.02.2003 को पारित डिक्री उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम किरोडी वगैराह विरूद्ध द्वितीय अपील पेश की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने उक्त द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2003 को यथावत रखने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 271/1987 उनवानी कन्हैया वगैराह बनाम सूजी वगैराह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.1999 आदिनांक तक यथावत है, जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 501 भरा जाकर दिनांक 28.03.2016 को फैंसल किया गया है तथा उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी सं0 2068–71 की जमाबन्दी में नोट अंकित है अर्थात विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा

1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन के गैरसायलान किरोडी रामदयाल मुंशी पि0 कन्हैया निवासी सीतापुर उगन्ती पुत्री कन्हैया पत्नि जगदीश तुलसा पुत्री कन्हैया पत्नि हरि हाल निवासी मलहाय तहसील भरतपुर भगवानी पुत्री कन्हैया पत्नि बृजकिशोर निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है तथा गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 560 रकबा 0.43 है0, 561 रकबा 0.50 है0, 562 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 13.04.2016 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 8.9.2..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली